

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/270/2/2017-1/44/2017 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषय: ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षा कराये जाने तथा लम्बित आडिट प्रस्तारों के निस्तारण के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशालय के पत्र सं०-1/110/2017-1/44/2017, दिनांक 01 मई, 2017 एवं अनुस्मारक पत्र सं०-1/270/2017, दिनांक 06 जून, 2017, पत्र दिनांक 07-07-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के आडिट के संबंध में प्रारूप- I, II, III पर सूचना उपलब्ध कराने तथा अद्यतन सूचना वेबसाइट पर अपलोड प्रारूप पर भरने हेतु निर्देशित किया गया था हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु वेबसाइट पर अपलोड प्रारूप पर किसी भी जनपद द्वारा सूचना नहीं भरी गई है। उल्लेखनीय है कि आप द्वारा वेबसाइट पर सूचना न भरे जाने के कारण शासन द्वारा समय-समय पर मांगे जाने तत्काल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ-साथ आदेशोल्लंघन का स्पष्ट परिचायक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों के आडिट से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप- I, II, III पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही महालेखाकार, इलाहाबाद से संबंधित आडिट प्रस्तारों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप-iv, v पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा आडिट से संबंधित निर्धारित प्रारूप- I, II, III, iv, v पर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रारूप जो पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड है, पर नियमित रूप से अद्यतन स्थिति तक अपडेट किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाय।

संलग्न- प्रारूप-iv, v

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1/270/2/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र०।
- 3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (प०), उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उपरोक्त सूचना की निरन्तर समीक्षा करें और प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
- 4- एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को प्रारूप-iv, v की प्रति सहित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

33/10/17-12

महानगरपालिका, इलाहाबाद के लेखा परीक्षक द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का किर्च गये आडिट प्रस्तरी के निस्तारण की अद्यतन स्थिति

| क्र. सं० | जनपद | वर्ष 2011-12 की अद्यतन स्थिति | वर्ष 2012-13 की अद्यतन स्थिति | वर्ष 2013-14 की अद्यतन स्थिति | वर्ष 2014-15 की अद्यतन स्थिति | वर्ष 2015-16 की अद्यतन स्थिति | वर्ष 2016-17 की अद्यतन स्थिति | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | प्रस्तरी की निस्तारित कुल सं० | अनिस्तारित प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या | प्रस्तरी कुल सं० | प्रस्तरी की कुल संख्या |

